

प्रेषक,

डॉ. प्रतिमा

सचिव—सह—अपर मिशन निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक—23/02/2021

विषय:— बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पिन कोड एवं फोटो युक्त आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान कर दिए जाने के संबंध में।

प्रसंग:— सामान्य प्रशासन विभागीय पत्रांक—2050, दिनांक—15.02.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण किया जाए जिसमें पत्र के निर्गमन के 10 दिनों के पश्चात बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (RTPS) अंतर्गत पिन कोड सहित आवासीय पता एवं फोटो युक्त आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का निदेश परिचारित है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के आलोक में आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया में प्रमाण पत्र के प्रारूप में फोटो (दाँईं और शीर्ष पर) एवं पिन सहित पता अंकित करने हेतु सॉफ्टवेयर में अपेक्षित प्रावधान कर लिया गया है। इसके संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण जिलों के आई.टी. प्रबंधक को दिया भी गया है।

अनुरोध है कि उपर्युक्त से अपने अधीनस्थ सभी संबंधित प्राधिकारों को अपने स्तर से अवगत कराने तथा सामान्य प्रशासन विभागीय प्रासंगिक पत्र के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन
23/2/21
(डॉ. प्रतिमा)

सचिव—सह—अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांक—बिठ्ठ०प्र०सु०मि०सो०/विविध—०३/२०१२ (खण्ड) सो० 405 दिनांक 23/02/2021

प्रतिलिपि:—श्री जय शंकर प्रसाद, सरकार के संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय पत्र ज्ञापांक—2050, दिनांक—15.02.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/2/21

सचिव—सह—अपर मिशन निदेशक

४५
१०.